प्रेस विज्ञप्ति

05.08.2025

प्रवर्तन निदेशालय, मुख्यालय कार्यालय, नई दिल्ली ने 02.08.2025 को एक अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया है, जिसके तहत चिराग तोमर, उनके परिवार के सदस्यों और संबंधित संस्थाओं की 42.8 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति कुर्क की गई है। अनंतिम रूप से कुर्क की गई संपत्तियों में दिल्ली स्थित 18 अचल संपत्तियां और बैंक खातों में जमा राशि शामिल है।

ईडी ने एक अखबार में छपी रिपोर्ट के आधार पर जाँच शुरू की कि क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज वेबसाइट कॉइनबेस की फर्जी या नकल वाली (स्पूफ) वेबसाइटों के इस्तेमाल से 2 करोड़ डॉलर से ज़्यादा की चोरी करने के आरोप में चिराग तोमर नाम के एक भारतीय नागरिक को अमेरिका में गिरफ्तार किया गया है। जाँच से पता चला कि चिराग तोमर, जो वर्तमान में अमेरिका में हिरासत में है, क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज "कॉइनबेस" की वेबसाइट की नकल (स्पूफ) कर और लगभग 2 करोड़ डॉलर मूल्य की क्रिप्टोकरेंसी की चोरी कर बड़े पैमाने पर साइबर धोखाधड़ी में शामिल था।

ईडी की जांच से पता चला है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन द्वारा विश्वसनीय वेबसाइटों को इस तरह से नकल (स्पूफ) किया गया था कि जब वेबसाइट को सर्च किया जाए, तो नकल (स्पूफ) की गई वेबसाइट सबसे ऊपर दिखाई दे। सिवाय इसपर दिए गए संपर्क विवरण के, नकल (स्पूफ) की गई वेबसाइट विश्वसनीय वेबसाइट के बिल्कुल समान ही प्रतीत होती थी। जब उपयोगकर्ता लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करते, तो नकल (स्पूफ) की गई वेबसाइट इसे गलत दिखाती। इसलिए, उपयोगकर्ता नकल (स्पूफ) की गई वेबसाइट में दिए गए नंबर पर संपर्क करते थे जो अंततः उन्हें चिराग तोमर द्वारा प्रबंधित निर्दिष्ट कॉल सेंटर से जोड़ता था। धोखेबाजों को पीड़ित के खातों तक पहुंच मिलते ही, धोखेबाज पीड़ित की क्रिप्टोकरेंसी जमापूंजी (होल्डिंग्स) को अपने नियंत्रण वाली क्रिप्टो करेंसी वॉलेट में स्थानांतरित कर देते थे। चुराई गई क्रिप्टो करेंसी को फिर विभिन्न पी2पी क्रिप्टो प्लेटफॉर्म पर बेचा जाता और भारतीय मुद्रा में परिवर्तित किया जाता था। इसके बाद यह धनराशि चिराग तोमर और उसके परिवार के सदस्यों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दी जाती थी और इसका उपयोग अचल संपत्ति खरीदने में किया जाता था।

आगे की जाँच जारी है।